



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 74]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) के आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की दीर्घावधि अधिप्राप्ति और शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेशन कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया) नीति के अंतर्गत बी(I), बी(III) एवं बी(IV) के अंतर्गत कोयला आबंटन सहित मॉडल बोली दस्तावेज़ों के अंतर्गत यथाउपबंधित ईंधन के स्रोत के लिए दिशा-निर्देश और मॉडल बोली दस्तावेज़ (एमबीडीज)।

सं. 23/17/2013-आरएंडआर (खंड-VI) भाग 4.—जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है;

जबकि प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंसधारकों के लिए आवश्यक है;

जबकि केंद्र सरकार ने उन विद्युत उत्पादकों से, जो डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार ताप विद्युत स्टेशनों का निर्माण और प्रचालन करने के लिए सहमत हैं, वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की दीर्घावधि अधिप्राप्ति के लिए एक मानक संविदात्मक ढांचा तैयार किया है;

जबकि केंद्र सरकार ने दिनांक 08 नवम्बर, 2013 के अपने पत्र सं. 23/17/2011-आरएंडआर (खंड-V), के माध्यम से मॉडल बोली दस्तावेज़ जारी किया है जिसमें मॉडल पात्रता अनुरोध ("एमआरएफक्यू"), मॉडल प्रस्ताव अनुरोध ("एमआरएफपी") और मॉडल विद्युत आपूर्ति करार ("एमपीएसए") (संयुक्त रूप से, "मानक बोली दस्तावेज़") शामिल हैं जिसे

डीबीएफओओ के आधार पर निर्माण और प्रचालित किए गए ताप विद्युत उत्पाद स्टेशनों से न्यूनतम प्रशुल्क के प्रस्ताव पर आधारित खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादकों से बिजली की अधिप्राप्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाया जाना है। दिशा-निर्देश दिनांक 09 नवम्बर, 2013 को जारी किए गए और उत्तरवर्ती संशोधन दिनांक 16 अप्रैल, 2015 एवं 05 मई, 2015 को जारी किए गए।

कोयला मंत्रालय ने दिनांक 22 मई, 2017 के अपने पत्र सं.23011/15/2016-सीपीडी/सीएलडी के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को कोयला लिक्विडिटी के आबंटन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश- न्यू मोर ट्रांसपेरेंट कोल एलोकेशन पॉलिसी फॉर पावर सेक्टर, 2017-शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) ("शक्ति पॉलिसी" के रूप में संदर्भित) लागू किए हैं।

उपर्युक्त के आधार पर और दीर्घावधि के अंतर्गत विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने दिनांक 05 मार्च, 2019 के अपने पत्र सं. 23/17/2013-आरएंडआर(खंड-VI) के माध्यम से मॉडल बोली दस्तावेज़ जिसमें शक्ति नीति के पैरा बी(I), बी(III) एवं बी(IV) के अनुसार कोयला के उपयोग को सुकर बनाने के लिए मॉडल अर्हता अनुरोध-डीबीएफओओ ("एमआरएफपी-डीबीएफओओ"), मॉडल प्रस्ताव अनुरोध-डीबीएफओओ ("एमआरएफपी-डीबीएफओओ") और मॉडल विद्युत आपूर्ति करार-डीबीएफओओ ("एमपीएसए-डीबीएफओओ") (संयुक्त रूप से, "मानक बोली दस्तावेज़-डीबीएफओओ") शामिल हैं जिसे डीबीएफओओ के आधार पर निर्माण और प्रचालित किए गए ताप विद्युत उत्पाद स्टेशनों से न्यूनतम प्रशुल्क के प्रस्ताव पर आधारित खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादकों से बिजली की अधिप्राप्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाया जाना है और शक्ति नीति के बी(I), बी(III) एवं बी(IV) के अंतर्गत कोयला आबंटन सहित मॉडल बोली दस्तावेज़ों के अंतर्गत यथाउपबंधित ईंधन के स्रोत के लिए; पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड द्वारा तैयार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (दीप ई-बिडिंग पोर्टल) के माध्यम से जारी किया है।

दीप ई-बिडिंग पोर्टल हेतु लिंक विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट ([www.powermin.nic.in](http://www.powermin.nic.in)) पर और पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड की वेबसाइट ([www.pfcclindia.com](http://www.pfcclindia.com)) पर उपलब्ध है।

इसलिए, अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा इन दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती हैं जिन्हें डीबीएफओओ के आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति और शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया) नीति के अंतर्गत बी(I), बी(III) एवं बी(IV) के अंतर्गत कोयला आबंटन सहित मॉडल बोली दस्तावेज़ों के अंतर्गत यथाउपबंधित ईंधन के स्रोत के लिए दिशा-निर्देश और मॉडल बोली दस्तावेज़ (दिशा-निर्देश) के नाम से जाना जाएगा।

ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए इससे संबंधित तारीख से प्रभावी होंगे:

1. यहां ऊपर संदर्भित मॉडल बोली दस्तावेज़-डीबीएफओओ में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तें, संदर्भ द्वारा इन दिशा-निर्देशों का भाग होगी और इन्हें इसी रूप में माना जाएगा।
2. इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना उन परियोजनाओं तक ही सीमित होगा जिनका विद्युत आपूर्ति करार के अनुसार किसी एक पक्षकार के विकल्प पर विद्युत आपूर्ति शुरू होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि से अधिकतम 25 वर्ष की अवधि तक, 5 वर्ष के विस्तार के प्रावधान के साथ, विद्युत आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए गए विद्युत आपूर्ति करार के अनुसार निर्माण एवं प्रचालन किया जाता है।
3. मॉडल बोली दस्तावेज़ों को शामिल करते हुए इन दिशा-निर्देशों के आधार पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित प्रशुल्क अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग द्वारा अपनाया जाएगा।

4. मॉडल बोली दस्तावेजों से कोई विचलन उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। बशर्ते कि मॉडल बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

5. 08 नवम्बर, 2013 को जारी मॉडल बोली दस्तावेजों और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित 09 नवम्बर, 2013 को जारी 'डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए समय-समय पर यथा संशोधित दिशा-निर्देश' एतद्वारा निरस्त किया जाते हैं।

बशर्ते कि इस तारीख से पूर्व हस्ताक्षर किया गया कोई भी करार या की गई कोई भी कार्रवाई 2005/2013/2015 के उक्त दिशा-निर्देशों के ऐसे निरसन द्वारा प्रभावित नहीं होगी और इसके अंतर्गत निरसित दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी।

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

## MINISTRY OF POWER

### RESOLUTION

New Delhi, the 6th March, 2019

**Guidelines for long term Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis and sourcing fuel as provided under Model Bidding Documents including allocation of coal under B (I), B(III) and B(IV) of SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India) Policy.**

**No. 23/17/2013-R&R(Vol-VI) Part 4.**—Whereas the Central Government is engaged in creating an enabling policy and regulatory environment for the orderly growth of generation of electricity in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (the “Act”);

Whereas it is incumbent upon the Central Government, State Governments, Electricity Regulatory Commissions and the distribution licensees to promote competition in the procurement of electricity through competitive and transparent processes;

Whereas the Central Government has evolved a standard contractual framework for long term procurement of electricity by the distribution licensees from power producers who agree to construct and operate thermal power generating stations on a ‘Design, Build, Finance, Own and Operate (“DBFOO”) basis;

Whereas, the Central Government had, vide its letter No. 23/17/2011-R&R(Vol-V) dated 8<sup>th</sup> November, 2013, issued the Model Bidding Documents comprising the Model Request for Qualification (the “MRFQ”), the Model Request for Proposals (the “MRFP”) and the Model Power Supply Agreement (the “MPSA”) (collectively, the “Model Bidding Documents”) to be adopted by distribution licensees for procurement of electricity from the power producers through a process of open and transparent competitive bidding based on offer of the lowest tariff from thermal power generating stations constructed and operated on DBFOO basis. The Guidelines were issued on 9<sup>th</sup> November 2013 and subsequent amendments were issued on 16<sup>th</sup> April 2015 and 5<sup>th</sup> May 2015.

Ministry of Coal, vide its letter No. 23011/15/2016-CPD/CLD, dated 22<sup>nd</sup> May 2017, has introduced the policy guidelines for allocation of Coal linkages to Power Sector - New More Transparent Coal Allocation Policy for Power Sector, 2017- SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India) (referred as the “SHAKTI Policy”).

Based on above and to introduce e-bidding process for procurement of power under long term, the Central Government has, vide its letter No. 23/17/2013-R&R(Vol-VI) dated 5<sup>th</sup> March, 2109 issued the Model Bidding Documents comprising the Model Request for Qualification - DBFOO (the “MRFQ-DBFOO”), the Model Request for Proposals - DBFOO (the “MRFP - DBFOO”) and the Model Power Supply Agreement - DBFOO (the “MPSA- DBFOO”) (collectively, the “Model Bidding Documents - DBFOO”), to facilitate the use of coal as per para B (I), B(III) and B(IV) of SHAKTI Policy , to be adopted by distribution licensees for procurement of electricity from the aforesaid power producers through a process of open and transparent competitive bidding based on offer of the lowest tariff from thermal power generating stations constructed and operated on DBFOO basis and sourcing fuel as provided under Model Bidding Documents including allocation of coal under B (I, III and IV) of SHAKTI Policy; through an electronic platform (DEEP e-Bidding portal) developed by PFC Consulting Limited .

The link for the DEEP e-Bidding portal is available on the website of Ministry of Power ([www.powermin.nic.in](http://www.powermin.nic.in)) and PFC Consulting Limited ([www.pfcclindia.com](http://www.pfcclindia.com)).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby notifies these guidelines to be known as the ‘**Guidelines for Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on DBFOO Basis and sourcing fuel as provided under Model Bidding Documents including allocation of coal under B (I), B(III) and B(IV) of Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India (SHAKTI) Policy (the “Guidelines”)**’.

These Guidelines shall come into effect from the date hereof subject to the following terms and conditions:

1. The terms and conditions specified in the Model Bidding Documents-DBFOO referred to hereinabove shall, by reference, form part of these Guidelines and shall be treated as such.
2. The application of these Guidelines shall be restricted to projects constructed and operated in accordance with a Power Supply Agreement signed for Supply of electricity for a period of 7 years and above upto a period of 25 years from the Date of Commencement of supply of Power with provision of extension of 5 years at the option of either party in accordance with the Power Supply Agreement.
3. The tariff determined through the bidding process based on these Guidelines comprising the Model Bidding Documents shall be adopted by the Appropriate Commission in pursuance of the provisions of section 63 of the Act.
4. Any deviation from the Model Bidding Documents shall be made only with the prior approval of the Appropriate Commission. Provided, however, that any project specific modifications expressly permitted in the Model Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Model Bidding Documents.
5. The ‘Guidelines for Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis’ issued on 9<sup>th</sup> November 2013, as amended from time to time, including the Model Bidding Documents issued on 8th November 2013 and amended from time to time thereunder, are hereby repealed.

Provided, however, that any agreements signed or actions taken prior to the date hereof shall not be affected by such repeal of the said Guidelines of 2005/2013/2015 and shall continue to be governed by the Guidelines repealed hereunder.

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer